5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. रिव्यू/अध्यक्ष/ /2014 रिव्यू 1502- PBR/15

हरीसिंह कुशवाह पुत्र श्री काशीराम कुशवाह निवासी ग्राम अजयपुर तहसील व जिला ग्वालियर ......आवेदक

बनाम

1. अमरसिंह उर्फ बच्चूसिंह पुत्र श्री काशीराम कुशवाह
2. मानसिंह स्व0श्री काशीराम कुशवाह
3. राजो पुत्र स्व0श्री काशीराम कुशवाह निवासी ग्राम अजयपुर तहसील व जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री ... को द्वारा आज दि. 18/3/15 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय (स्वदीपसिंह) राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर की निगरानी कमांक 370/पी0बी0आर/ 2014 में पारित आदेश दिनांकी 11.04.201 के निर्णय के विरूद्ध रिव्यू</u>

श्रीमान जी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 1502–पीबीआर / 14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–6–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन	

रिव्यू 1502-PB/R/14 20/लिखित

का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष